


उ कारकी पेशुई, वकील वाली उपदिष्ट
कारकी का आदेश कन किया गया
कारकी एडि रजिस्टर के दिनांक
५-१-२०१२ से आज तक कारकी में
चल रही है वकील वाली को
पूर्व में तारीख पेशी पर ललबाना
पेश करने के लिए कहा गया लेकिन
ललबाना पेश नहीं किया गया
अतः कारकी आदेश क्रि. १
दिनांक ५ के तहत कारकी की
जाकर नमूदा से कन होकर
दलाल वाली न हो।



उपखण्ड अधिकारी
पुंगल, जिला-बीकानेर

दमो
शही
०५
१५